न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला—(डीडवाना—कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 140/2023 (GCMS 2023/382)

प्रार्थीगण

प्रार्थी :—

1. कुनणाराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी—ग्राम उदयपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. कमला पत्नी भंवरलाल
2. देवीलाल पुत्र मंगलाराम
3. नन्दलाल पुत्र मंगलाराम
4. बरजीदेवी पत्नी मंगलाराम
5. रामेश्वर पुत्र पेमाराम

अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जाति जांगिड निवासीयान—ग्राम उदयपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

6. मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इडिंया शाखा जिलिया
7. उप पंजीयक कुचामन सिटी।
8. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी) तह0 कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 251 ए के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खेलने के लिये आवेदन पत्र

उपस्थित — श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक :— 20/02/2025

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि यह है कि ग्राम उदयपुरा तहसील कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि प्रार्थी कि सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है। ग्राम उदयपुरा तहसील कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 3.26 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण कि सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि में आने जाने का रास्ता नही है जिससे कृषि भूमि खेत में आने जाने ट्रेक्टर इत्यादी को लाने ले जाने हेतु रास्ता नही है। खेत के खसरा नम्बर 782 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

727 कि दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे नीचे वर्णित नक्शे अनुसार रास्ता दिलाया जाने की आवश्यक्ता है।

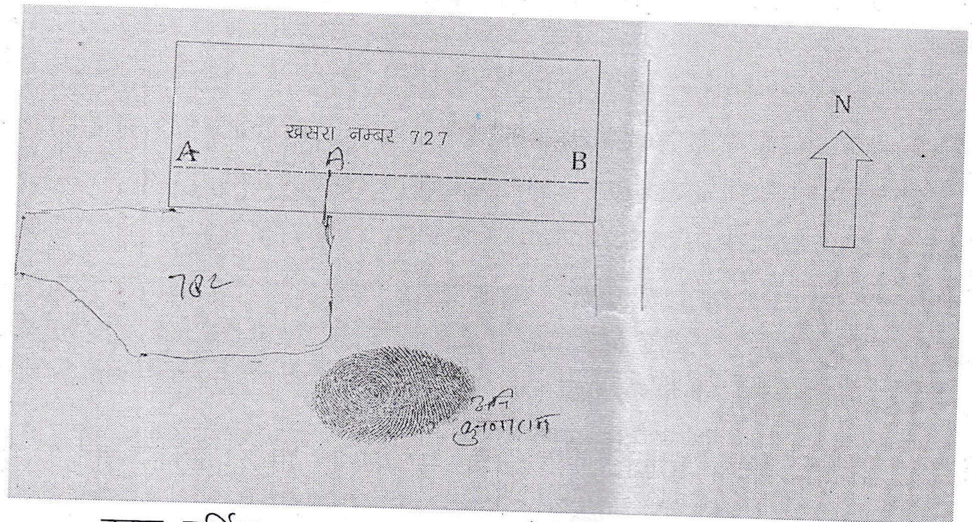

ऊपर वर्णित अनुसार A+B नक्शे में वर्णित अनुसार 13 फुट चौड़ाई का रास्ता खेत खसरा नम्बर 782 में आने जाने के लिए रास्ता दिलाने की आवश्यक्ता है। उपरोक्त भूमि में रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है जिसका प्रार्थीगण हकदार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी सरकारी DLC दर से मुआवजा बनता है वह प्रार्थी अदा करने के लिए तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम उदयपुरा तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नं0 782 में आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 727 कि दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 13 फीट चौड़ाई का रास्ता दर्ज कर उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकिन रास्ता दर्ज कर नक्शा ट्रेस में तर्मिम किया जाने का आदेश श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावे। जिसकी प्रार्थी सरकारी डी.एल.सी दर से जो मुआवजा बनता है, हम प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3, 4, की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होने प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार कुचामनसिटी को [illegible] प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की [illegible] उन्होने अपने पत्रांक/राजस्व /2024/261 दिनॉक 28.02.2024 को [illegible] रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.02.2024 को तैयार कर प्रस्तुत की। जो [illegible]मिल मिसल उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1075, 1074 व इसके दक्षिण दिशा में स्थित प्रार्थी के परिवारजन की ढ़ाणी में से होकर प्रार्थी का आना–जाना है। खसरा नम्बर 782, 1074, 1075 एक ही परिवार की खातेदारी के खसरे है। प्रार्थी ने सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह रास्ता मार्क **A** से **B** मांग किया गया है। विधिनुसार भी प्रार्थी को यह रास्ता खसरा नम्बर 727 अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 की खातेदारी की भूमि में से नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त मार्क **A** से **B** से निकटतम दूसरे रास्ते प्रार्थी के पास उपलब्ध है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 कमजोर जाति के व्यक्ति होने तथा प्रार्थी बाहुबली जाति से होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 की खातेदारीशुदा भूमि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से न्यायालय से तथ्य छिपाते हुए प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

तहसीलदार कुचामनसिटी ने फर्द मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा निम्न प्रकार बताया जाकर तथ्य प्रस्तुत किये गये है :–

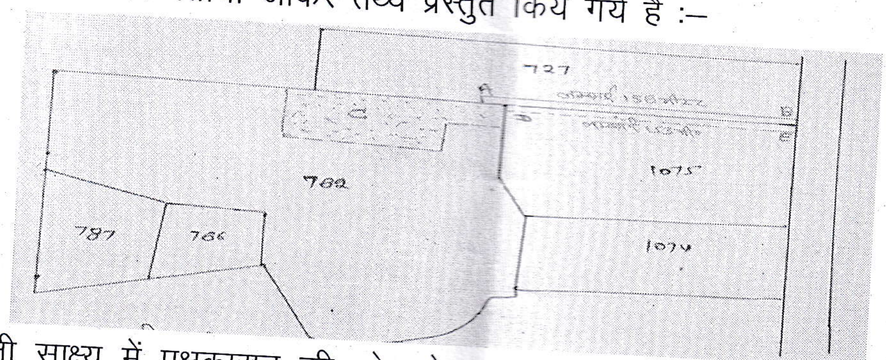

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकारान की ओर से ग्राम उदयपुरा पटवार मण्डल जिलिया की जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 25, 06, की नकले प्रस्तुत हुई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार रास्ता दिये जाने के कथन किये है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते नही दिये जाने के कथन किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि ग्राम उदयपुरा पटवार मण्डल जिलिया [illegible] नम्बर 782 में आने जाने हेतु ग्राम उदयपुरा के खसरा नम्बर 727 में [illegible] 3 [illegible] चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है, जिसके लिये मुआवजा राशि राज्य सरकार [illegible] डी.एल.सी. दर एवं निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार कुचामनसिटी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 26.02.2024 अनुसार ग्राम उदयपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 782 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जोन के लिए फर्द मौका दिनॉक 26.02.2024 में **A** से **B** अनुसार ग्राम उदयपुरा पटवार मण्डल उदयपुरा तहसील कुचामनसिटी 727 में से 158 मीटर लम्बाई X 3.96 मीटर चौड़ाई = 625.68 वर्गमीटर अर्थात् 0. 0626 हैक्टर व खसरा नम्बर 1075 में से **D** से **E** तक 153 मीटर प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू **A** से **B** अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है।

उपरोक्त फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार दर्शाये गये नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा **A** से **B** तक चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 158 मीटर है। जबकि नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 1075 में **D** से **E** तक की लम्बाई 153 मीटर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए निकटतम अनुकूल रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 1075 में **D** से **E** तक मांग नहीं कर उससे अधिक लम्बाई वाले रास्ते की मांग की गई है जो कानूनन उचित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्री सुनील कुमार -I (RAS))
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested